[श्री कचरू मल हेमराज जैन]

सरकारी सूचना के अनुसार 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी तथा कुछ अन्य घायल हुए थे।

दिल्ली के अन्दर, विशेषकर पुरानी दिल्ली क्षेत्र में अवैध निर्माण बहुत हो रहा है। पुराने मकानों में मकान मालिक और किरायेदार मनमाना निर्माण कर रहे है जब कि उनकी आयु समाप्त होने जा रही है। इस सम्बन्ध में कई संसद् सदस्य भी आवास मंत्री महोदय को शिकायतें लिखकर भेजते है। इतना होने के पश्चात् भी सरकार अवैध निर्माण के सम्बन्ध में बिल्कुल शांत है। अवैध निर्माण के सम्बन्ध में मैंने स्वयं दिनांक 25 मार्च को मकान नं० 2738, वार्ड नं० 4, छत्ता प्रताप सिंह, किनारी बाजार दिल्ली-6 जो कि माननीय मंत्री जी के ही निर्वाचन-क्षेत्र में आता है में किरायेदार द्वारा अवैध निर्माण के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय को तथा संबंधित अधिकारियों को लिखा था। मेरे उस पत्र पर विभाग द्वारा अवैध-निर्माण गिराना तो दूर रहा बल्कि उस मकान का हाउस-टैक्स बढ़ा दिया गया। मकान की हालत खस्ता है और किसी भी समय वह गिर सकता है।

अधिकारी घटना-स्थल पर जाकर स्थिति का जायजा नहीं लेते और न ही शिकायतों पर कोई कार्यवाही करते हैं। यह है इस विभाग की स्थिति। एक व्यक्ति के स्वार्थ के लिए अनेकों व्यक्तियों के जीवन को जुए पर लगा देना कहां तक उचित है? सरकार इस सम्बन्ध में क्या ठोस कार्यवाही कर रही है इससे सदन को अवगत कराया जाये।

मैं तो यहां तक कहूंगा कि दिल्ली नगर निगम एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, यहां पर भ्रष्टाचार ने इतना व्यापक रूप धारण कर लिया है, जिसका उल्लेख करना भी कठिन है। इतना होने पर भी अधिकारी चुप्पी साधे बैठे है। दिल्ली में हो रहे अवैध-निर्माण उसी का परिणाम है।

मैं तो यह भी अनुरोध करूंगा कि न केवल संसद्-सदस्यों के पत्रों पर अपितु जन-साधारण के पत्रों पर भी अविलम्ब कार्यवाही होनी चाहिए और उसकी प्रगति से संबंधित व्यक्तियों को एक सप्ताह के अन्दर ही अवगत कराया जाना चाहिए। यदि तत्काल कार्यवाही न की गई तो हौज काजी की तरह ही अन्य स्थानों पर भी बड़ी तादाद में लोगों की जाने जाने की आशंका हो सकती है।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उपरोक्त अवैध-निर्माण को गिराने के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करें।

(ii) Policy of distribution of imported Cashewnuts.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South) Sir, with your kind permission, I would like to raise a matter of very urgent public importance. I am happy to note that the Minister of Commerce is present here The present policy of imported cashewnut distribution is a bar to enable the Eastern Region to get any quota It is expected that the Minister in-charge of Commerce changes the policy or with his discretionary power he should allot quota to the industries functioning in West Bengal and Maharashtra on the basis covered in the I T C Policy as a special case on the line of Manifesto of Janata Government

To cite a specific instance there is one such small unit only in West Bengal which is registered under Small Scale Industries, and promoted by technical entrepreneur. The industry in question is situated in a declared backward area of the District of Midnapore Further, the industry in question offers employment to 1200 workers of tribal and adivasi communities. The industry, the only one of its kind in Eastern India, is export-oriented. It had earned foreign exchange to the tune of Rs 5 lakhs in 1977-78 and Rs. 27 lakhs in 1978.

In case it is not possible for the Minister to change the policy or to use his discretionary power to help as suggested, the few languishing firms in the Eastern Region and in the Maharashtra Region, the cashewnut exporters who came into existence after 1970, may be offered a subsidy on the value of the export. It is hoped that the Minister for Commerce will look to the problem of the small production units sympathetically and do something expeditiously for their survival